न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या **278/2024** — अन्तर्गत धारा **251A RT Act.**

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
पारसकंवर पत्नी मूलसिंह जाति राजपुत, निवासी गेवानगर हाल निवासी धीरजी की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. अचलसिंह पुत्र नगसिंह 2. उम्मेदसिंह पुत्र भीखसिंह 3. उम्मेदसिंह पुत्र विशनसिंह 4. कुनणसिंह पुत्र मालमसिंह 5. कल्याणसिंह पुत्र दौलतसिंह 6. कलसिंह पुत्र नगसिंह 7. कंवरूकंवर पत्नी सांगसिंह 8. कालूसिंह पुत्र दौलतसिंह 9. कोजराजसिंह पुत्र जेठुसिंह 10. गंगासिंह पुत्र चन्दनसिंह 11. गुलाबसिंह पुत्र मुल्तानसिंह 12. गुलाबसिंह पुत्र प्रयागसिंह 13. गोपसिंह पुत्र इन्द्रसिंह 14. चुतरसिंह पुत्र विशनसिंह 15. चन्द्र कंवर पत्नी आम्बसिंह 16. चेनसिंह पुत्र विशनसिंह 17. जुगतसिंह पुत्र भीमसिंह 18. जुगतसिंह पुत्र मुलतानसिंह 19. जेतसिंह पुत्र भीमसिंह 20. जेतसिंह पुत्र मालमसिंह 21. जीवराजसिंह पुत्र जेठुसिंह 22. डूंगरसिह पुत्र भीमसिंह 23. तेजसिंह पुत्र आम्बसिंह फौत के कायम मुकाम 23.1 गेनसिंह पुत्र तेजसिंह 23.2 भगवानसिंह पुत्र तेजसिंह 23.3 मोहनसिंह पुत्र तेजसिंह 23.4 मदनकंवर पुत्री तेजसिंह 23.5 भीखकंवर पत्नी तेजसिंह 23.6 समदंरसिंह पुत्र तेजसिंह 24. दुर्जनसिंह पुत्र गजेसिंह 25. देरावरसिंह पुत्र प्रयागसिंह 26. नरपतसिंह पुत्र सुजानसिंह 27. निजर कंवर पत्नी मुलतानसिंह 28. पेम्पसिंह पुत्र मुलतानसिंह 29. पेम्पसिह पुत्र भूरसिंह 30. बनेसिंह पुत्र मालमसिंह 31. बादल कंवर पत्नी भीमसिंह 32. भानसिंह पुत्र मलसिंह 33. मदनसिंह पुत्र भूरसिंह 34. [illegible]सिंह 35. [illegible] पुत्र दौलतसिंह 36. [illegible] 37. [illegible] फौत के कायम मुकाम 37.1 [illegible]सिंह पुत्र माधुसिंह 37.2 [illegible]कंवर पत्नी माधुसिंह 37.3 [illegible]शकंवर पुत्री माधुसिंह 38. माधुसिह पुत्र नगसिंह 39. रूखमाकंवर पत्नी विशनसिंह 40. रूगसिंह पुत्र किशोरसिंह 41. रूघसिंह पुत्र नगसिंह 42. लाधुसिंह पुत्र प्रयागसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव

	43. लालसिंह पुत्र किशोरसिंह 44. वेरीसालसिंह पुत्र मलसिंह 45. सुआ कंवर पत्नी भूरसिंह 46. सवाईसिंह पुत्र गुमानसिंह 47. सवाईसिंह पुत्र भीखसिंह 48. सांगसिंह पुत्र विशनसिंह 49. सांगसिंह पुत्र उतमसिंह 50. हुकमसिंह पुत्र भूरसिंह 51. हरीसिंह पुत्र गुमानसिह 52. हरीसिंह पुत्र सांवलसिंह 53. हसंकंवर पत्नी उम्मेदसिंह 54. हीरसिंह पुत्र आम्बसिंह जाति राजपुत, निवासी धीरजी की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 55. खरथाराम चौधरी पुत्र केशाराम चौधरी 56. लक्ष्मी चौधरी पत्नी खरथाराम चौधरी जाति जाट, निवासी बानों की बेरी, दुधु तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर 57. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू 58. तहसीलदार शिव

उपस्थित :— अधिवक्ता प्रार्थीनी — श्री अभयसिंह राठौड़।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 18.09.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा धीरजी की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 601/569 रकबा 7.1629 हैक्टेयर आया हुआ है, जिसमें प्रार्थीनी का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त है। प्रार्थीनी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 569/384, 384 रकबा क्रमशः 34.9729, 15.2242 हैक्टेयर में प्रार्थीनी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीनी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीनी द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीनी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थीनी उक्त रास्ते हेतु घोषित की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध हैं। अतः प्रार्थीनी का निवेदन है कि प्रार्थीनी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीनी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर पक्षकारान् को [illegible] जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 55 व 56 की खातेदारी खसरा नम्बर 384 रकबा 15.2242 हैक्टेयर में से रकबा 0.3108 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 54 के खातेदारी खसरा नम्बर 569/384 रकबा 34.9729 हैक्टेयर में से रकबा 0.3140 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम विकल्प है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:43:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित

उपखण्ड अधिकारी
शिव

रास्ता प्रार्थीनी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित रास्ते हेतु विप्रार्थी संख्या 55 व 56 के खातेदारी खसरा नम्बर 384 रकबा 15.2242 हैक्टेयर में से रकबा 0.3108 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 54 के खातेदारी खसरा नम्बर 569/384 रकबा 34.9729 हैक्टेयर में से रकबा 0.3140 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य निकटतम रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। साथ ही तहसीलदार मौका रिपोर्ट में भी अन्य विकल्प नहीं होना दर्शाया गया है। विप्रार्थीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। चूंकि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीनी की आत्यांतिक आवश्यकता होने एवं निकटतम व लघुतम विकल्प होने पर रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिफल राशि प्रार्थीनी द्वारा राजकीय खाता में जमा करवाई जाकर रास्ता कटाण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा धीरजी की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 601/569 रकबा 7.1629 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार विप्रार्थी संख्या 55 व 56 के खातेदारी खसरा नम्बर 384 रकबा 15.2242 हैक्टेयर में से रकबा 0.3108 हैक्टेयर तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 54 के खातेदारी खसरा नम्बर 569/384 रकबा 34.9729 हैक्टेयर में से रकबा 0.3140 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

आदेश आज दिनांक 18.09.2025 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.12.10 14:13:48 IST
Reason: SelfAttested